न्यायालयः माननीय राजस्व मण्डल, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक : /2018 निगरानी

PBR/निगरानी/इंदौर/भू.रा.सं./2018/01568

रामचरण पुत्र रामकिशन, आयु– वर्ष,

व्यवसाय–कृषि, निवासी–ग्राम रंगवासा, तहसील

व जिला इंदौर (म.प्र.) ––प्रार्थी

बनाम

1. मोतीराम पुत्र रामकिशन,
2. दिनेश पुत्र वासुदेव, निवासीगण–ग्राम रंगवासा,

तहसील व जिला इंदौर (म.प्र.)

––प्रतिप्रार्थीगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 28/02/2018 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी इंदौर के प्रकरण क्रमांक–28/2015–15 अपील

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/इंदौर/भूरा/2018/1568

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
3-7-18	उभयपक्ष अधिवक्ताओं द्वारा पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया। 2- आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी इंदौर के प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/इंदौर/भूरा/2018/1568 में पारित आदेश दि. 28-2-18 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। 3- आवेदकपक्ष अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आदेश 41 नियम 27 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया कि वादग्रस्त भूमि के संबंध में प्रचलित अन्य प्रकरण जिसमें आवेदक एवं अनावेदक के मध्य सहमति के आधार पर कार्यवाही समाप्त की गई थी, जिसकी प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की अनुमति चाही गई परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदक का उक्त आवेदन निरस्त कर दिया गया है जिस कारण आवेदक अपनी दस्तावेजी साक्ष्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने से वंचित हो गया है इसलिये अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किये जाने योग्य है । 4- अनावेदक क्रमांक 1 अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से यही कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिवत होने से स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त की जाये । 5- उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्को एवं अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा व्यवहार न्यायालय से कोई स्थगन प्राप्त नहीं किया गया है, अतः अनुविभागीय अधिकारी ने कार्यवाही जारी रखने का सही निर्णय लेते हुये आवेदक का व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 10 का आवेदन निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की है। जहॉ तक आवेदक के व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 41 नियम 27 के आवेदन का प्रश्न है इसको अनुविभागीय अधिकारी ने बिना कारण बताये निरस्त कर दिया है, जो उचित नहीं है । अतः अनुविभागीय अधिकारी आवेदक के व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 41 नियम 27 के आवेदन पर पुनः सकारण आदेश पारित करें। अध्यक्ष	